राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3799/2025

नादान सिंह गुर्जर **–अपीलार्थी**

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, गृह, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, राज्य आपदा प्रतिसाद बल, जयपुर।
3. कमाण्डेड, राज्य आपदा प्रतिसाद बल, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 06.08.2025
आदेश की दिनांक : 26.08.2025

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री राजकुमार कसाणा, अभिभाषक
समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।

2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता कथन है यह कि अपीलार्थी वर्तमान में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर राज्य आपदा प्रतिसाद बल, मुख्यालय, गाडोता जिला जयपुर में कार्यरत है। उनका कथन है कि अपीलार्थी की नियुक्ति चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, स्वीपर के पद पर दिनांक 11.04.2018 (अनुलग्नक–1) को हुई थी। अपीलार्थी द्वारा दिनांक 11.04.2020 को परिवीक्षा अवधि पूर्ण कर ली। परन्तु प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 10.06.2020 (अनुलग्नक–2) के द्वारा अपीलार्थी का परिवीक्षा काल 03 माह बढ़ा दिया गया तथा प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 19.05.2021 (अनुलग्नक–3) के द्वारा अपीलार्थी का स्थाईकरण 11.07.2020 को किया गया, जिसके कारण अपीलार्थी को एक वार्षिक वेतन वृद्धि की हानि हो रही है। अपीलार्थी अल्प वेतनभोगी कर्मचारी है तथा पारिवारिक जिम्मेदारियां है। अपीलार्थी ने इस संबंध में प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष दिनांक 02.07.2024, 24.09.2024, 10.01.2025 एवं 20.05.2025 (अनुलग्नक–4 से 7) को अभ्यावेदन प्रस्तुत किये। परन्तु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा उन पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करे कि अपीलार्थी की सेवा को दिनांक 01.04.2020 से पुष्टि करते हुए एक वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ दिया जावे तथा अपीलार्थी के बकाया वेतन का 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से भुगतान किया जावे।

3. हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

4. बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान करने का अनुरोध किया गया। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

5. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए, अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी 2 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित आधारों पर एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 4 सप्ताह की अवधि में एक आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

6. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य